प्रेस नोट

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.12.2024 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जयहिन्द तिवारी पुत्र दिवाकर तिवारी (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासी ग्राम बण्डवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को ग्राम बण्डवा (गुडहान बाबा मन्दिर) के पास से घटना मे प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल कुलाडी के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.12.2024 को समय करीब 8:30 बजे प्रताप सिंह ग्राम प्रधान बंडवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ने थाना मुस्कुरा को जरिए दूरभाष सूचना दिया कि उनके गांव के अर्जुन उर्फ मिथलेश पाल पुत्र जियालाल पाल (उम्र करीब 41 वर्ष) का शव भाषण रोड पर गांव के बाहर मृत अवस्था में पड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। । सूचना पर तत्काल थाना मुस्करा पुलिस मौके पर पहुंची व प्रथम दृष्टया शव के सिर पर चोट के निशान दिख रहे थे। मौके पर उपस्थित मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक शराब पीने का आदी था एवं दिनांक 07.12.2024 को गांव के ही 02 व्यक्तियों के साथ शराब पीने का संदेह व्यक्त किया गया। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड टीम ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की तथा थाना पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक की पत्नी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तगणों के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त से घटना के सम्बन्ध मे कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 07.12.2024 को मैं और धीरेन्द्र साहू गांव के अर्जुन पाल को उसके घर से पार्टी के लिए बुलाये हम तीनों ने शराब पिया तथा रात्रि में करीब 12.00 बजे सामान लेने के लिये हरनारायण की दुकान गए व बगल में कुछ दूर पर बने पक्के चबूतरे पर बैठने के बाद हम तीनो लोग धीरेन्द्र साहू के भैसाय जाने वाले जानवर बाडे पर आ गये तथा फिर शराब पीये यहीं पर खाना बनना था इसी बीच अर्जुन पाल ने धीरेन्द्र साहू से कहा कि और दारू मगावो तो धीरेन्द्र ने मना किया तो अर्जुन पाल हम लोगो को गाली देने लगा तथा मेरे, अर्जुन व धीरेन्द्र के बीच मारपीट होने लगी फिर अर्जुन जंगल की ओर भागा तो हम लोगो ने दौडा लिया। अर्जुन गिरकर बेहोश हो गया। हमें आशंका हुई कि अर्जुन हम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगा और हम दोनो को जेल जाना पडेगा तो हम लोगो ने तय किया कि इसी के पेंट से इसका गला दबाकर मार देते है तब मैं और धीरेन्द्र साहू ने उसकी पैंट निकाली, पैंट व गमछे से गले में लपेट कर खींचे तथा उसे खीचते हुए आगे कुछ दूर रास्ते के बगल में कुश के बीच ले गये वह बेहोश हो गया तब मैं उसके पैर की तरफ पकडे रहा और धीरेन्द्र ने अपने हाथ में लिये कुल्हाड़ी से पट दशा में सिर में जोरदार प्रहार किया तो उसके सिर से खून निकलने लगा। अर्जुन को मरा समझकर फेक दिया व शव के आस-पास ही अन्य समान फेककर चले गये तथा कुल्हाडी जिससे अर्जुन को काटा था उसे इसी मंदिर से कुछ दूर झाडियो में छिपा दिया तथा मैं व धीरेन्द्र अपने-अपने घर चले गए तथा सुबह राम राम कहने बाली टोली घूम रही थी मैने उन लोगो से अर्जुन पाल की लाश को कुत्ते व शियार के खाने की बात कही जब गांव के लोग जगे तथा अर्जुन की लाश मिलने पर मेरे व धीरेन्द्र के द्वारा ही हत्या करने की बात कहने लेगे तब बचने के लिये हम भाग गए

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.जयहिन्द तिवारी पुत्र दिवाकर तिवारी (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासी ग्राम बण्डवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

अभियुक्त से बरामदगी-

01 अदद आलाकत्ल कुल्हाडी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.अ0सं0 58/01 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना मुस्करा
2. अ0सं0 316/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा
3. अ0सं0 460/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा
4. अ0सं0 795/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा
5.अ0सं0 394/10 धारा 3 यूपी गुण्डा थाना मुस्करा
6. अ0सं0 476/12 धारा 380 आईपीसी थाना मुस्करा
7. अ0सं0 1216/14 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना मुस्करा
8.अ0सं0 780/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा
9. अ0सं0 770/15 धारा 354 आईपीसी थाना मुस्करा
10.अ0सं0 240/16 धारा 420/467/468/471/182/120 बी आईपीसी थाना जरिया जनपद हमीरपुर
11. अ0सं0 72/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुस्करा
12एनसीआर नं0 111/19 धारा 323/504 आईपीसी थाना मुस्कार
13.एनसीआर नं0 06/20 धारा 323/504 आईपीसी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
14. अ0सं0 201/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुस्करा
15. अ0सं0 68/15 धारा 354/380 आईपीसी थाना मुस्करा
16. अ0सं0 138/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुस्करा
17. अ0सं0 185/16 धारा 60(2) आब0 अधि0 व 273/273 आईपीसी थाना मुस्करा
18. अ0सं0 1995/14 धारा 457/380 आईपीसी थाना मुस्करा
19. अ0सं0 550/11 धारा 110(G) थाना मुस्करा
20. अ0सं0 588/14 धारा 110(G) थाना मुस्करा
21. अ0सं0 480/08 धारा 25ए एक्ट थाना मुस्करा
22. अ0सं0 124/17 धारा 3/25ए एक्ट थाना जरिया
23. अ0सं0 263/2024 धारा 103(1) BNS थाना मुस्करा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 योगेश तिवारी
2.उ0नि0 शिवम पाण्डेय
3.हे0का0 कमलेश कुमार
4.का0 प्रदीप शर्मा